

**रेल दावा अधिकरण**  
**RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL**  
(प्रधान पीठ/Principal Bench)  
दिल्ली/Delhi

13/15, माल रोड, दिल्ली-110054  
13/15, Mall Road, Delhi-110054

**कार्यालय आदेश**

कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि होने और दिल्ली में 'येलो अलर्ट' जारी होने के कारण दिनांक 30.12.2021 के पत्र सं. 896/आरजी/डीएचसी/2021 के तहत दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर दिनांक 03.01.2022 से 15.01.2022 तक रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ की कार्रवाई वर्चुअल माध्यम से निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:-

1. मौजूदा वाद सूचियों के अनुसार, लिखित बयान, दलील और विविध चरणों के तहत सूचीबद्ध मामलों पर वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और आवेदक की गवाही के लिए सूचीबद्ध मामले स्थगित किए जाएंगे और गवाही के लिए सूचीबद्ध मामलों में कोर्ट मास्टर द्वारा तारीख दी जाएगी।
2. गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध किसी मामले को तारीख दिए बिना नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक मामले में कोर्ट मास्टर द्वारा इस तरीके से तारीख दी जाएगी कि जब न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई शुरू करेगा तो प्रत्येक पीठ के समक्ष गवाही दर्ज करने के लिए दस से अधिक मामले सूचीबद्ध न हों।
3. पीठ- I के समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर प्रातः 10:30 बजे से और पीठ- II के समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर दोपहर 12:00 बजे से वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
4. उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 15.01.2022 तक जारी रहेगी और समग्र स्थिति का शीघ्र ही पुनः आकलन और समीक्षा की जाएगी।
5. सभी संबंधितों को संबंधित पीठों द्वारा वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

इसे माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

**संजय**  
(संजय घोष)  
अपर रजिस्ट्रार

सं. आरसीटी/दिल्ली/वीएम/2020

दिनांक 31.12.2021

**प्रतिलिपि प्रेषित:-**

1. माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचना के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव- II
2. माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना के लिए माननीय सदस्य (तकनीकी) के निजी सचिव
3. कोर्ट मास्टर
4. पीओ, रेल दावा अधिकरण/दिल्ली
5. बार एसोसिएशन की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड हेतु
6. रेल दावा अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संबंधित कर्मचारी